International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Volume 01, No. 03, July - September, 2019, pp.217-224

jktLFkku e xkeh.k i;Vu dk oreku ,o Hkfo";

श्री अर्जुन लाल*

प्रस्तावना

पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो कि मनोरंजन या फुरसत के क्षणो का आनन्द उठानें के उद्देश्यों से की जाती है। विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार पर्यटक वे लोग है जो यात्रा करके अपने सामान्य वातावरण से बाहर के स्थानों में रहने जाते है। यह दौरा ज्यादा एक साल के लिए मनोरंजन व्यापार अन्य उद्देश्यों से किया जाता है। यह उस स्थान पर किसी खास किया से संबंधित नहीं होता है। पर्यटन दुनिया भर में एक आरामपूर्ण गतिविधि के रूप में लोकप्रिय हो गया है।

राजस्थान भारत का एक राज्य है जो पर्यटन के लिए सबसे अच्छा राज्य माना जाता है। राजस्थान राज्य में हर जिले में कई दर्शनीय स्थल देखने को मिलते है। यहा विशेष रूप से दुर्ग है जो लगभग हर जिले में है। इनके अलावा राजस्थान में कई पौराणिक मन्दिर भी है। प्राकृतिक सुदंरता और महान इतिहास से सम्पन्न राजस्थान में पर्यटन उद्योग समृद्धिशाली है। राजस्थान देशीय और अतंराष्ट्रीय पर्यटकों दोनों के लिए एक उचित पर्यटन स्थल है। भारत की सैर करने वाला हर तीसरा विदेशी सैलानी राजस्थान देखने जरूर आता है क्योकि यह भारत आने वाले पर्यटकों के लिए गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है। जयपुर के महल उदयपूर की झीलें और जोधपुर बीकानेर तथा जैसलमेर के भव्य दुर्ग भारतीय और विदेशी सैलानियों के लिए सबसे पंसदीदा जगहों में से एक है। इन प्रसिद्ध स्थलों को देखने के लिए यहां हजारों पर्यटक आते है। जयपुर का हवामहल जोधपुर बीकानेर के धीरे और जैसलमेर के धारे काफी प्रसिद्ध है। जोधपुर का मेहरानबढ दुर्ग चित्तौड़ दुर्ग काफी प्रसिद्ध है। यंहा राजस्थान में कई पुरानी हवेलियाँ भी है जो वर्तमान मे हैरीटेज होटलें बन चुकी है। पर्यटन ने यहाँ आतिथ्य क्षेत्र में भी रोजगार को बढावा दिया है।

xkeh.k i;Vu

आज की रफतार भरी व बड़ी–बड़ी इमारतो और शोर–शराबे, भागदौड़ भरी जिंदंगी में इनसान मशीनों की कठपुतली बन कर रह गया है, इसलिए जीवन में सुकुन का महत्व आज के जीवन में बहुत बढ़ गया है। लोग इस शोर से थोड़ा दूर आना चाहते है। ग्रामीण पर्यटन इसके लिए उपयुक्त जगह है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक धरोहरें पर्यटन रोजगार सृजन और विकास के व्यापक अवसर प्रदान करती है। कोई भी ऐसा पर्यटन जो ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति और ग्रामीण स्थलों की धरोहर को दर्शाता हो, जिससे स्थानीय समुदाय को आर्थिक और सामाजिक लाभ पहुंचता हो, साथ हर पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच संवाद से पर्यटन अनुभव के अधिक समृद्ध बनने की संभावना हो, तो उसे ग्रामीण पर्यटन कहा जा सकता है। ग्रामीण पर्यटन एक ऐसी गतिविधि है, जो देश के देहाती

---

* सहायक आचार्य, व्यावसायिक प्रशासन, श्री रकंपा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किशनगढ़, अजमेर, राजस्थान।

इलाकों में संचालित होती है। यह बहुआयामी है, जिसमे कृषि, पर्यटन,सांस्कृतिक पर्यटन प्रकृतिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन और पर्यावरण पर्यअन शामिल है। परंपरागम पर्यअन के विपरीत ग्रामीण पर्यटन की कुछ खास विशेषताएं है, जैसे यह अनुभवान्मुखी होता है, इसके पर्यटक स्थलों पर आबादी बिखरी हुई होती है, इसमें प्राकृतिक जीवन शैली व प्राकृतिक जीवन शैली व प्राकृतिक वातावरण की प्रमुखता होती है।

महात्मा गाँधी ने एक बार कहा था कि भारत गाँवों में बसता है। भारत का ग्राम्य जीवन असली भारम की तस्वीर प्रस्तुत करता है। हमारे गाँच देश की संस्कृति और परम्पराओं का खजाना है। महानगरों की गहमा–गहमी से दूर गांवों में जीवन को अपेक्षाकृत सहज गति से जीने का अनुभव मन में नई स्- फूर्ति का संचार करता है। हमारी अनोखी कलाओं और शिल्प के सिद्धान्त कलाकर और दस्तकार गांवों में ही निवास करते है और कलाओं व शिल्प को अपने मूल रूप में अब तक सहेज कर रखे हुए है। ये कलाएँ व शिल्प शहरों में मुश्किल से ही दिखाई पड़ती है। यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आमतौरर पर कृषक समाज के लोग है और कई बार उनकी आमदनी शहरों में रहने वालों की तुलना में कम होती है। गांवों में प्रर्याप्त संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है और बेहतर अवसरों की तलाश में शहरो को पलायन करने वाले युवक–युवतियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है नतीजा यह हुआ है कि गांवों की कुछ परम्परागत कलाएँ और शिल्प धीरे–धीरे विलुप्त होते जा रहे है।

xkeh.k i;Vu dk egRo

राज्य के ग्रामीण परिवेश एवं ग्राम्य जीवन के अवलोकन हेतू पर्यटको में एक विशेष उत्साह है। गत वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक गाँवों एवं ढाणियों में जाकर राजस्थान के ग्रामीण जीवन का निकटता से अनुभव करने का आनन्द ले रहे है। इससें पर्यटन सुदूर गाँवो में भी पहुँच चुका है। यह भी पर्यटन विभाग द्वारा पैदा की गई जागृति का ही परिणाम है। राज्य में आने वाले पर्यटकों को स्थानीय लोगों के जन जीवन को निकट से देखने की भावना से राजस्थान पर्यटन ने 13 शहरों में पेइग गैस्ट योजना शुरू की जो आज देशी – विदेशी पर्यटकों में बहुत ही लोकप्रिय है। इस योजना के द्वारा विभिन्न संस्कृतियों के लोग राजस्थान के लोगों के घरो में आकर रहते हैं तथा वे यहाँ की संस्कृति एवं परम्पराओं से अवगत होकर लौटते है। राज्य में पर्यटन उद्योग को बढाने के लिए सरकार ने वर्ष 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया तथा सन् 1993 से मार्च, 1999 तक अनुदान योजना भी जारी रखी जिसमें पर्यटन इकाइयों तथा हेरिटेज होटलों को अनुदान दिया गया। इस योजना के कारण राज्य में पर्यटन इकाइयों मे निजी क्षेत्र के निवेशकों ने निवेश किया। राजस्थान पर्यटन विकास निगम भारत का प्रथम पर्यटन विकास निगम है, जिसने 1982 में पैलेस ऑन व्हील्स जैसी रेल गाड़ी शुरू की, जो आज विश्व में अपना एक अलग स्थान रखती है। कालान्तर में राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने राज्य के लगभग सभी पर्यटन स्थलों पर पर्यटक विश्रामगृह तथा मुख्य राजमार्गो पर मार्गस्थ सुविधा एवं मिडवे स्थापित कियें है। ग्रामीण पर्यटन के द्वारा अब गांवों में धन आने लगा है तथा गांवों के भूले बिसरे स्मारकों कि भी खोज–खबर अब ली जाने लगी है, जो स्मारक तथा धर्मस्थल अब तक उपेक्षित थें अब उनकी भी साज–संभाल की जा रही है, ग्रामीण पर्यटन के द्वारा स्थानीय कलाओं को भी नए अवसर प्राप्त हो रहे है, अनके ग्रामीण परिवार जहाँ उच्च स्तर की शिल्प कलाएं गुरू शिष्य परम्पराओं के अन्तर्गत चली आ रही है जिनका अब तक उचित मूल्याकंन नहीं हों पाता ग्रामीण पर्यटन के द्वारा इन कलाओ को भी महत्व प्राप्त हो रहा है।

jktLFkku ljdkj dh i;Vu uhfr

27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। राज्य की पर्यटन नीति दिनांक 27/09/2001 को जारी की गई थी। पर्यटन नीति के बहुआयामी उद्देश्य निम्न प्रकार है।

- ग्रामीण क्षेत्रों मे रोजगार के अवसर बढाने के लिए पर्यटन उद्योग का विकास करना।
- समृद्ध पर्यटक संसाधानों का विकास करना ताकि अधिकांश घरेलू व विदेशी पर्यटक आकर्षित हो सके.
- समृद्ध, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, पुरातात्विक सांस्कृतिक विरासत को वैज्ञानिक तरीको से संरक्षित करना।
- राज्य को समृद्ध एवं विविध हस्तकलाओं एवं शिल्पकलाओं के लिए बाजार उपलब्ध कराना।
- पर्यटन विकास को सुविधा प्रदान करना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देना।
- पिछडे क्षेत्रों में पर्यटन के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक विकास करना।
- धार्मिक व तीर्थ पर्यटन और मेले व त्योहरो के माध्यम से अन्तसांस्कृतिक समझ को प्रोत्साहित करना।
- पर्यटन को जन उद्योग बनाना।
- सतत् विकास को प्रोत्साहन व पर्यटन के नकारात्मक प्रभावों को क करना।
- पर्यटक उत्पादों की विविधता को प्रोत्साहन।

jktLFkku e xzkeh.k i;Vu fd leL;k,

- **fof/k ,o uhfr fuekZ.k Lrj ij %** किसी भी नीति के सफल कियान्वयन के लिये यह आवश्यक है कि उस नीति के निर्माण स्तर पर ही ऐसे प्रावधनों का समावेशन किया जाए जो नीति के सफल कियान्वयन को सुनिश्चित कर सके। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में वर्णित तीनों सूचियों (समवर्ती सूची, सघं सूची, राज्य सूची) में कहीं भी पर्यटन एवं पर्यटन विकास से संबंधित किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पर्यटन विकास संवैधानिक कर्तव्यों की सूची में उपेक्षित है। पर्यटन जैसे महतवपूर्ण विषय का संविधान की सातवीं सूची में विर्णत न होना पर्यटन विकास के लिए निराशाजनक है।
- **vke tu dh mnklhurk %** पर्यटन को अभी भी व्यवहार में जन उद्योग नहीं बना पाए हैं। आम लोगों की भागीदारी नहीं होने का ही परिणाम है कि पर्यटन को विकास के एक साधन के रूप में देश में अपनाया नहीं जा सका है। ग्रामीण पर्यटन स्थलों पर गन्दगी का साम्राज्य, ऐतिहासिक एंव सांस्कृतिक धरोहर स्थलों के संरक्षण के प्रति बेरूखी आदि आम–जन की पर्यटन उद्योग के प्रति उदासीनता ही दर्शाती है। इस उदासीनता के कारण ही पर्यटन स्थलों पर कई बार पर्यटकों के साथ बद्तमीजी की घटनाएँ भी घटित होती है। अभी भी स्थानीय निवासियों को इस बात का अहसास नहीं है कि अधिक पर्यटकों का आगमन स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी है। स्थानीय निवासी केवल यही समझता है कि पर्यटन का अर्थ घूमना–फिरना है ऐसे में पर्यटकों के समक्ष अपनी परम्पराओं, अपनें उत्पादों को बेचे जाने आदि विषय में सीधें तौर पर अनभिज्ञ रह जाते है। इस कारण पर्यटन उद्योग से मिलने वाले बहुत से लाभों से हम वंचित हो जाते है।
- **iz'kklfud laosnu'khyrk dh deh %** प्रशासन का अर्थ जनता के लिए सेवाओं का प्रबन्धन करना है इसके लिए आवश्यक है कि प्रशासन जो जनता के लिए कार्य कर रहा है वह जनता के प्रति संवेदनशीलता एवं सकिय रूप से कार्य करे परन्तु राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन व्यवस्था में कार्यरत प्रशासनिक मशीनरी की संवेदनशीलता की

कमी के कारण पर्यटन विकास के उद्धेश्यों की सफल रूप से प्राप्ति नहीं हो पा रही है। प्रशासन में कुछ अधिकारियों द्वारा पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किये जाते किन्तु अन्य कार्मिको का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है। इस असहयोग के कारण संवेदनशीलता प्रकट करने वाला प्रशासक वर्ग भी हतोत्साहित महसूस करता है। पर्यटन विकास से संबंधित समस्याओं के उचित समाधान तथा पर्यटकों की समस्याओं के उचित निस्तारण के लिए प्रशासन में संवेदनशीलता आवश्यक है।

- fuf'pr if'k{k.k i)fr dk vHkko % प्रर्यटन विकास के अन्तर्गत पर्यटन से जुड़ें सरकारी एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों के लिए किसी निश्चित शिक्षण – प्रशिक्षण प्रद्धति का अभाव देखा गया है। पर्यटन से जुड़े कर्मचारियों एवं अधिकारियों के साथ बडी समस्या यह भी होती है कि वह पर्यटन उद्योग को पर्यटक आमंत्रण की गतिविध मानते हैं। केन्द्र सरकार के क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालयों, राज्य सरकार के पर्यटन कार्यालयों एवं शहरी स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा पर्यटन साहित्य का वितरण, पर्यटन मेलों के आयोजन के अलावा आम जन को पर्यटन से जोडे जाने की दिशा में किसी भी प्रकार की पहल नहीं की जाती। स्थानीय समुदाय को पर्यटन से होने वाले लाभों से अवगत कराने, पर्यटन उद्योग से संबंधित नीतियों, योजनाओं आदि के बारे में अन्य लोगों को जानकारी देने की दिशा में किसी प्रकार की गतिविधयाँ नहीं की जाती है। इसका बड़ा कारण यह है कि उच्च स्तर पर पर्यटन के अन्तर्गत इस दिशा में किसी प्रकार का शिक्षण–प्रशिक्षण नहीं होता व इसकी आवश्यकता नहीं समझी जाती ।
- foKkiu o izpkj&izlkj dk vHkko % राजस्थान सरकार द्वारा अन्य राज्यों की तुलना में ग्रामीण पर्यटन विकास के लिए प्रचार–प्रसार योजना के अन्तर्गत बहुत कम धन व्यय किया जाता है और न ही दृश्य व श्रव्य माध्यम से राजस्थान पर्यटन का विज्ञापन किया जाता है। स्थानीय संस्थाओं द्वारा भी पर्यटक स्थल का प्रचार–प्रसार व विज्ञापन नहीं किया जाता है।
- vk/kkjHkwr lqfo/kkvksa dk vHkko % ग्रामीण पर्यटक स्थनों में मुख्यतः आधारभूत सुविधाओं का अभाव देखा गया है। किसी भी शहर के लिये आधारभूत सुविधाए महत्वपूर्ण होती है जबकि पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित जगहों पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के लिये आवश्यक है कि वहाँ आधारभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए।
  - सार्वजनिक स्थलों पर शुद्ध व शीतल पेयजल की उपलब्धता संतोषजनक नहीं है। कहीं पर जल
  - शुद्ध है तो शीतल जल नहीं और कही पर शीतल जल है लेकिन शुद्ध जल नहीं। सार्वजनिक
  - स्थानों पर प्याऊ इत्यिादि का अभाव है। स्थानीय संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक स्थानों व मुख्य पर्यटक स्थलों पर शुद्ध व शीतल जल उपलब्ध कराने के लिए न तो विशेष प्रयास किए गए हैं और न ही निःशुल्क मिनिरल वाटर उपलब्ध करवाया गया है। बाजार में मिनरल वॉटर ऊँची कीमतों पर उपलब्ध है। स्थानीय संस्थाओ द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर शुद्ध व शीतल पेयजल के लिये कोई ठोस प्रबन्धन नहीं किया गया है। प्रतीत होता है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, स्थानीय संस्थाओं व जन सहयोग में समन्वय की कमी है।

- बाजार, मुख्य मार्गो, पर्यटक स्थलों मंदिर परिसरों, उद्यानों, सार्वजनिक व पर्यटक स्थलों पर अधिकाश स्थानों पर कचरा पात्र नहीं है। यदि है तो वह स्थाई व गुणवत्तापूर्ण नहीं है, जल्द ही टूट–फूट जाते हैं। कचरा पात्र का संधारण, समय पर खाली करना एवं देखरेख समय पर नहीं होती जिससे इनका उपयोग ढंग से नहीं हो पाता है। साथ ही कचरा पात्रों के समुचित उपयोग हेतू जन सहयोग का अभाव भी देखने को मिलता है।
- पर्यटक स्थलों, सार्वजनिक स्थलों, उद्यान बाग–बगीचों इत्यादि स्थानों पर प्रदूषण रोकने या गन्दगी रोकने के लिए पर्याप्त चेतावनी बोर्ड लगे हुए नहीं है। यदि है तो भी आधे अधूरे जिन पर कुछ स्पष्ट लिखा हुआ प्रतीत नहीं होंता। चेतावनी बोर्डो पर हिन्दी व अग्रेजी दोनों भाषओं का प्रयोग नहीं होने पर पर्यटको को उन्हें समझने में समस्या आती है। नगरपालिका द्वारा चेतावनी बोर्डो की देखभाल समय पर नहीं की जाती है।

- **ukxfjd lqfo/kk, %** किसी भी पर्यटन स्थल पर नागरिक सुविधाएं आधारभूत आवश्यकता है परन्तु अत्याधुनिक नागरिक सुविधाए अभी भी उपलब्ध मुख्य नहीं है। पर्यटक नागरिक सुविधाओं की स्थिति से पूर्णतः सन्तुष्ट नहीं है, मुख्य पर्यटक स्थानों पर इनकी दशा दयनीय है जिसमें महिलाओं, बुजुर्गो व बच्चों को बहुत परेशनी होती है। नगर पालिका द्वारा मोबाइल टॉयलेट्स की व्यवस्था कभी कभार की जाती है। मेले व महोत्वों के समय यह समस्या बढ जाती है। स्थानीय संस्थाओं द्वारा इस दिशा में संतोषजनक कार्य नहीं किया जाता है। अतः एन.जी.ओ. प्रशासन यू.आई.टी. पर्यटन विभाग व नगरपालिका द्वारा इस दिशा सयुक्त प्रयास की आवश्यकता है।
- **lkUn;Zdj.k%** पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यकरण स्तरीय नहीं है यह अत्यन्त सोचनीय विषय है। पर्यटक स्थलों के सौन्दर्यकरण के संबंध में स्थानीय प्रशासन के पास पर्याप्त संसाधन, बजट, स्टाफ व निजी क्षेत्र के सहयोग का अभाव है एवं अन्य संबंधित विभागों के साथ तालमेल संतोषजनक नहीं है। पर्यटक स्थलों, मंदिंरो, भवनो इत्यादि का सौन्दर्यकरण नहीं होने से पर्यटकों को पर्यटक स्थल के दर्शन में अरूचि होना स्वाभाविक है।
- **i;Vdks d Bgju dh O;oLFkk o Hkkstu O;oLFkk %** पर्यटक उद्योग के विकास में पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जहाँ पर्यटकों की उचित व्यवस्था मिलती है, पर्यटक उस स्थल पर जाना अत्यधिक पसंद करते है किन्तू ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था में कुछ कमियाँ देखी गई है।
- **f'kdk;r fuokj.k ,o lpuk rduhd %** ग्रामीण क्षेत्रो में एक विशेष पर्यटक स्थल होने के बावजूद यहाँ पर्यटकों द्वारा की गई शिकायतों के निवारण के लिए उचित व्यवस्था एवं सूचना तकनीक के अभाव को देखा गया है। पर्यटकों की समस्याओं से संबंधित शिकायत निवारण के लिये कोई विधिवत तकनीकी युक्त व्यवस्था नही की गई कोई विशेष हेल्पलाईन नम्बर नही है हालांकि शिकायत निवारण के लिए नगरपालिका कार्यालय के फोन नम्बर उपलब्ध हैं एवं आयुक्त व चैयरमेन के फोन नम्बर पर भी शिकयत निवारण तन्त्र के विकास के लिये प्रयास का अभाव है।

jktLFkku esa xzkeh.k i;Vu dk lek/kku

- **fof/k ,o uhfr fuekZ.k%** भारतीय संविधान में पर्यटन को महत्व दिया जाना चाहिए। इसके लिए भरतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची, संघ सूची व राज्य सूची में पर्यटन को उल्लेखित किया जाना चाहिए। पर्यटन को समवर्ती सूची में स्थान दिया जाना सर्वोतम विकल्प है।

- हेरीटेज/वास्तुकला बाहुल्य इमारतों, क्षेत्रों, नेसर्गिक सुन्दरता के स्थलों, घने जगंलों तथा अन्य पर्यटन आकर्षण के पर्यटक स्थलों को संरक्षित रखने के लिए स्थानीय संस्थाएं नगरपालिका, नगर सुधार न्यास ग्रामीण स्थानीय निकाय, पर्यटन विभाग, पुरातत्व विभाग, वन एवं पर्यावरण पिभाग, जिला प्रशासन को आपसी समन्वय के साथ रणनीति बनाकर कार्य करना चाहिए।
- वर्षा जल का संग्रहण व संरक्षण अनिवार्य किया जाए व वाटर हार्वेस्टिग्र को अनिवार्यतः लागू करना चाहिए। इसकी पालना करवाने के लिए संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को पाबन्द किया जाना चाहिए।
- गाँवों में जल संरक्षण के लिए जल बहाव क्षेत्रों में आवश्यक स्थानों पर एनीकट बनाकर जल को बहने से रोकना चाहिए एवं इसे तालाब व झील में बहाना चाहिए या पेयजल के लिए उपयोग में लाना चाहिए। इससे झील में पानी का संतुलन रहेगा व वर्षभर नौकायन को लाभ होगा।
- सभी जगह आर.ओ. युक्त पानी की सप्लाई होनी चाहिए। वृहत स्तर पर आर.ओ. प्लान्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। फिल्टर प्लाटं की देखरेख समय–समय पर होनी चाहिए। पानी में फ्लोराइड की समय–समय पर जाचं की जानी चाहिए ताकि इसे रोकने के उपाय किए जा सकें। आमजन को शुद्ध प्लोराइड मुक्त पानी उपलब्ध करवाना चाहिए।
- पालिका द्वारा एल.ई.डी. लाइट, नियोग लाईट व हाईमास्ट लाइट इत्यादि की खरीद की जाती है परन्तु अधिकांश स्थानों पर पुरानी लाईटें ही लगी हुई है। सौन्दर्यकरण के लिए आधुनिक लाइटों का प्रयोंग किया जाना चाहिए। रोड़ लाइटों पर टाईमरी स्विच लगाने चाहिए।
- धार्मिक स्थलों के पास शौचालय व मूत्रालय की दुर्दशा से गन्दगी फैल जाती है। अतः या तो इनकी मरम्मत की जाए अन्यथा अन्य स्थानान्तरित किया जाना चाहिए। मेले व महोत्सवों के समय शौचालयों व नागरिक सुविधाओं की गंभीर समस्या रहती है। शौचालय व नागरिक सुविधाओं का पर्याप्त विकास एवं मेले व महोत्सवों के दौरान मोबाइल टॉयलेट्स की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। स्थानीय संस्थाओं को स्वयं सेवी संस्थाओं को इस तरह से सहयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा साफ करने की मशीन, रोड साफ करने की मशीन नाली साफ करने की सीवरेज जेट मशीन इत्यादि आधुनिक तकनीकी मशीनों का प्रयोग करना चाहिए। जो मशीन खराब हो चुकी है उन्हे। तत्काल सही करवाना चाहिए जिससे साफ–सफाई की व्यवस्था प्रभावित न हो।
- नगर पालिका द्वारा कचरा संग्रहण की घर–घर जाकर इकटठा करने की व्यवस्था है लेकिन इसके प्रचार–प्रसार की कमी है जिससे लोगों को पता ही नहीं चलता कि कचरा संग्रहण रिक्शा कब आया और कब गया। इसके लिए इस आशय के पम्पलेट जारी किए जाने चाहिए इसके सामाचार पत्रों के द्वारा भी प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक आवास या मकान, होटल धर्मशाला व पेईग गेस्ट के मालिक के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि एक आवश्यकतानुसार या निर्धारित मापदण्डानुसार कचरा पात्र अपने घर के बाहर निश्चित स्थानों पर स्थापित करें और घर का कचरा इसमें डाल दें ताकि कचरा संग्रहण वाहन के कर्मचारी स्वतः इन कचरा पात्रों को खाली करके सम्पूर्ण कचरा संग्रहित कर ले। 11. ग्रामीण मेलो में अस्थाई दुकानों का किराया महंगा होने के कारण छोटे लारी वाले मेले में लारी नहीं लगा पातें है। अतः छोटे व्यापारियों

को भी मेले में लारी लगाने की अनुमति मिलनी चाहिए। इससें छोटे व स्थानीय व्यापाकरयों को भी लाभ होगा।

- राज्य में पर्यटन विभाग के अतिरिक्त पर्यटन निष्पादनार्थ अन्य उतरदायी इकाइयाँ भी है। राजीव गाँधी पर्यटन विकास मिशन, रिटमैन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम और होटल निगम आदि के द्वारा पर्यटन निष्पादन को प्रभावी बनाया जा सकता है। साथ ही राज्य में कार्यशील पर्यटन विकासार्थ प्रन्यासों, रंगशालाओं, पर्यटन लेख संघों और कलामंचों के सतत सहयोग से पर्यटन कार्यव्यवहार में नये कीर्तिमान स्थापित किए जा सकते है।
- राज्य में पर्यटन सम्बन्धी पाठ्यक्रम उपलब्ध है, परन्तु विपणन प्रबन्ध के ज्ञान के बिना पर्यटन ज्ञान भी अधूरा होता है। सरकार और निजी उद्यमियों को चाहिए कि महाविद्यालयी और विश्वविद्यालयी स्तर पर पर्यटन विपणन के भी व्यावहारिक और व्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार को चाहिए कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं तक के पाठ्यक्रमों में भी पर्यटन जानकारी को न्यूनाधिक रूप में शामिल किया जाए।
- ग्राहकों को त्वरित एवं कुशल सेवा प्रदान करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा संचालित होटलों को आधुनिक साज–सज्जा से सम्पन्न किया जाना चाहिए ताकि पर्यटक सेवा से सन्तुष्ट हो सकें।
- वर्तमान असुरक्षित वातावरण में पर्यटन विभाग एवं राजस्थान पर्यटन विकास निगम को यहाँ आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए ताकि आने वाला पर्यटक अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सके।
- राजस्थान क्षेत्र में राजस्थान पर्यटन निगम और पर्यटक कला संस्कृति विभाग एवं होटलों की प्रबन्धकीय व्यवस्था में आधुनिकीकरण को बढावा दिया जाना चाहिए।
- राजस्थान बहुत कम बैंको मे विदेशी विनिमय की सुविधा उपलब्ध है। अतः विदेशी विनिमय की सुविधा में भी वृद्धि की जानी चाहिए। जहाँ तक पोस्ट ऑफिस व बैंको के समय का प्रश्न है, सायँकालीन सेवाएँ भी इन क्षेत्रों में उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जा सकता है। प्रत्येक पर्यटन स्थल पर बैंक व पोस्ट ऑफिस की एवं सायँकालीन शाखा की स्थापना करके बिना व्यय में खास वृद्धि किये राज्य सरकार व केन्द्र सरकार इस कार्य को सम्पादित कर पर्यटन उद्योग को बढावा दे सकती है।
- राजस्थान पर्यटकों के मन को मोहित कर सकें इसके लिए आवश्यक है कि यहाँ की ऐतिहासिक, धार्मिक स्थ्लों, इमारतों, किलो व छतरियों को सुन्दर व आकर्षक बनाया जावे। इनके चारों तरफ लाइट ऐण्ड शेड की प्रभावपूर्ण विद्युत व्यवस्था करके इनकी सुन्दरता में चार चाँद लगाये जा सकते है। वही नहीं इन स्थलों के आस–पास या चारों ओर बाग बगीचें, पार्को आदि का निर्माण करके भी इन स्थलों का सौन्दर्यकरण सम्भव किया जा सकता है।
- मरूभूमि के इस प्रदेश में पर्यटन उद्योग के विकास विस्तार के लिए आवश्यक है कि यहाँ की केवल विख्यात कलाओं जैसे – भिति चित्रकला, मेहन्दी माँडने की कला, काष्ठ पर बारीक खुदाई की कला का ही प्रचार–प्रसार न करके उन कलाओं व विद्याओं का भी विज्ञापन व प्रचार किया जाना चाहिए जिनसे अभी तक देशी व विदेशी भ्रमणकर्ता अपरिचित है, जैसे – भुज का ताला बनाने की कला, अंजार के चाकू बनाने की कला, संगीत कला, ख्याल परम्परा व ओढने बनाने की विद्या आदि। इन अपरिचति कलाओं से परिचय प्राप्त करके के लिए भी एक पर्यटक स्वयं को राजस्थान आने के लिए विवश कर सकता है।

- पर्यटन की भावना का प्रचार व प्रसार आम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए आवश्यक है कि जैसलमेर मेला, पुष्कर मेला या उत्तरप्रदेश की तरह यहाँ प्रतिवर्ष 'शेखवाटी पर्यटनोत्सव' मनाया जाना चाहिए ताकि आम आदमी उसमें शामिल होकर पर्यटन के आनन्द का अनुभव कर सके एवं राजस्थान की ख्याति दूर–दूर तक बिना किसी विशेष प्रचार व प्रसार के फैल सके। इस संदर्भ में गत वर्ष शेखावाटी में ऐसा आयोजन भी किया गया था, किन्तु ऐसे आयोजन शेखावाटी के किसी स्थानीय पर्व जैसे रामदेवजी का मेला, रानीसती का मेला, गणगौर या तीज के मेले पर किये जानें चाहिए ताकि अधिकाधिक लोगों को पर्यटन के लिए आकर्षित किया जा सके।

ग्रामीण पर्यटन को बढावा देने के लिए ऐसी रणनीति अपनायी जानी चाहिए जिससे वहां उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग हो सके। ग्रामीण पर्यटन का वर्गीकरण उस क्षेत्र विशेष के धार्मिक एवं प्राकृतिक स्थलों, समृद्ध विरासत, कला–संस्कृति से जुडें स्थलो, ग्रामीण एवं कृषि परंपराओं, वैकल्पिक औषधि एवं आध्ययात्मिक हीलिंग आदि से जोड़ा जा सकता है। इससें हर क्षेत्र को पर्यटन मानचित्र पर लाने तथा पग्रटक पैकेज बनाकर पर्यटकों को उनकी रूचि के अनुसार आकर्षित किया जा सकता है। इसके लिए विपणन अनुसंधान, योजना एवं नेटवर्क विकास की जरूरत है जिससे घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों को अपने पसंद के स्थलों की पहचान में आसानी हो। इसलिये ग्रामीण पर्यटन और ग्राम जीवन के अनुभव की अवधारणा के विकास के लिये पर्याप्त गुंजाईश है। फिर भी, इसमें कुछ चुनौतियॉ भी है और सबसे बड़ी चुनौती तो मार्केटिंग यानी विपणन की है। ग्रामीण समुदायों के पास स्वाभाविक रूप से उत्पादों की देश–विदेश में मार्केटिंग के लिये बहुत कम अवसर होते है। इसलिये विपणन का पर्याप्त आधारभूत ढाँचा न होने से जो परियोजनाएँ पारम्परिक पर्यटन सर्किट से जुडी नहीं है, वे बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पायी है। पर्यटन मंत्रालय ने ग्रामीण पर्यटन–स्थलों को अपनी वेबसाइट में प्रमुखता से स्थान देकर ग्रामीण पर्यटन के विपणन के प्रयासों में अपना योगदान किया है। टूर ऑपरेटरों को अन्ततः ग्रामीण पर्यटन स्थलों को संरक्षण देना ही होगा और उन्हें वित्तीय दृष्टि से सफल बनाने के लिये अपनी यात्रा–सूची में शामिल करना होगा। इसलिये घरेलू और अन्तराष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर इस के और प्रयास करने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी का एक और उदाहरण है :''अगर गाँव नष्ट गये तो भारत नष्ट हो जायेगा।'' इसलिये हमारे लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि गांवों का संरक्षण किया जाए और आने वाली पीढियों के लिये गाँवों की सरल जीवनशैली को सम्भालकर रख जाये। ग्रामीण और उत्तरदायी पर्यटन को बचाये रखने में बड़ी मदद मिल सकती है।

lUnHk xzUFk lph

- डॉ A.K. रेना, किशोर सिंह– राजस्थान में पर्यटन प्रबन्धः सिद्धान्त और व्यवहार, अभिनव प्रशासन, अजमेर (2007)
- डॉ आशुतोष मीणा – पर्यटन एवं स्थानीय स्वशासन, बाबा पब्लिकेशन, जयपुर (2017)
- http//:www.google.co.in
- http//:www.wikipedia.com

❖◆❖